



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
23.08.2023	<p style="text-align: center;"><b>वाद संख्या-19/2023</b></p> <p>दिनांक-11.09.2023 से दिनांक-14.09.2023 तक आयोग का पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद माह सितम्बर, 2023 की अन्य तिथियों में भी अन्य कई जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। सितम्बर माह में निर्धारित क्षेत्र भ्रमण के कारण दिनांक-12.09.2023 के बाद माह सितम्बर में सुनवाई संभव नहीं हो पा रहा है।</p> <p>अतः न्याय में विलंब को टालने के उद्देश्य से इस मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक-12.09.2023 के स्थान पर दिनांक-08.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे निर्धारित की जाती है।</p> <p>उभय पक्ष को सूचित करें। दिनांक-08.09.2023 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"><div style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div><div style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div></div>	